संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
आफिस काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतमनगर, भोपाल
0000

क्रमांक / तक / डीबीटी / 2018–19 / 1779 भोपाल, दिनांक 29/05/2018

वर्ष 2018–19 में कृषि यंत्र एवं सिचाई उपकरणों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिये कृषकों हेतु सूचना

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ट्रेक्टर, पावर टिलर, स्वचलित कृषि यंत्र, शक्तिचलित कृषि यंत्र, स्प्रिंकलर, ड्रिप, सिचांई पाईप, विद्युत तथा डीजल पंप पर अनुदान प्राप्त करने हेतु ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (वेबसाईट dbt.mpdage.org) दिनांक 1 जून 2018 से प्रारंभ किया जा रहा हैं। सामग्रीवार आवेदन हेतु तिथियां पोर्टल पर देखी जा सकती है। इस वर्ष कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुऐ प्रकिया में कुछ परिवर्तन किया गया है। प्रक्रिया अब निम्नानुसार होगी–

1. केवल **कृषक (भूमि धारक)** ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगें।
2. आवेदन किसी भी कार्यलय में जमा नही होंगें। **केवल ऑनलाईन आवेदन ही मान्य होंगें।**
3. ऑनलाईन आवेदन प्रदेश में स्थित जन सेवा केन्द्रों(सी.एस.सी) अथवायंत्र / **उपकरण के विक्रेताओं** के माध्यम से कर सकते हैं।**आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य प्राप्त कर लेवें।**
4. आवेदन **बायोमेट्रिक डिवाइस या फिंगर प्रिंट स्कैनर डिवाइस के माध्यम से** होंगें अतः आपके नाम से कोई अन्य व्यक्ति आवेदन नही कर सकेगा। जिन कृषकों के पास आधार नम्बर नहीं है वे कृपया आधार कार्ड अवश्य बनवा लेवें।
5. पंजीयन सफलतापूर्वक होने पर कृषक द्वारा लिखाये गये **मोबाईल फोन नं. पर मैसेज आयेगा।**
6. सफल पंजीयन होने के 7 दिवस में कृषक को आवेदन के प्रिंट आउट पर लिखे **दस्तावेज ऑनलाईन** अपलोड कराने होंगें।
7. ऑन लाईन अपलोड कराये गये अभिलेखो के आधार पर विभाग के जिला अधिकारी द्वारा ऑन लाईन "क्रय स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा। इसके उपरांत ही **कृषक क्रय की कार्यवाही करने के लिये** पात्र होंगे।
8. गलत अभिलेख होने पर आवेदक अपात्र माना जावेगा तथा उसका आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
9. क्रय स्वीकृति आदेश के बाद 20 दिवस में सामग्री का क्रय पोर्टल पर पंजीकृत डीलरों के माध्यम से किया जाना होगा।
10. सामग्री क्रय उपरांत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जाकर अनुदान भुगतान की कार्यवाही जिला / संचलनालय स्तर से की जायेगी।
11. कृषक अपने **आवेदन की अद्यतन स्थिति** स्वंय पोर्टल पर स्वयं देख सकते है।

अधिक जानकारी के लिये कृषक बन्धु अनुदान हेल्पलाईन पर सिंचाई उपकरणों के लिये **0755 - 4935002** तथा कृषि यंत्र एवं ट्रैक्टर के लिये **0755 - 4935001** पर संपर्क कर सकते हैं।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल